सी. ए. पायस

बनाम

कैरल राज्य व अन्य

14 सितम्बर, 2007

(डॉ. अरिजीत पासायत एवं डी. के. जैन, जे. जे.)

केरल जेल नियम 1958- नियम 225 (2)और 461 - आजीवन कारावास के दोषी की परिवीक्षा पर रिहाई से इन्कार - इस आधार पर कि उसने नियमों के अनुसार 8 साल की हिरासत की सजा नहीं भुगति है - अध्ययन अवकाश की अवधि को सजा के रूप में मानने के लिए दोषी का दावा - अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा रिहायी की अस्वीक़ृति की पुष्टि की - अपील पर अभिनिर्धारित रखा कि परिवीक्षा पर रिहायी की अस्वीकृति सही-अध्ययन अवकाश की अवधि को सजा की अवधि में नहीं गिना जायेगा - दोषी के मामले पर कानून के अनुसार विचार किया जा सकता है, जब वह आठ साल से अधिक की वास्तविक हिरासत भुगत लेता है। दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973-एस. 432(6).

आजीवन कारावास भुगत रहे अपीलार्थी ने केरल जेल नियम 1958 के तहत परिवीक्षा पर रिहा किये जाने का दावा किया राज्य सरकार ने इस आधार पर इन्कार किया कि उसके द्वारा नियमों के अनुसार अनिवार्य आठ

साल की सजा नहीं भुगती है। उसने केवल छ- साल पांच महीने दस दिन की सजा ही भुगति है। अपीलार्थी ने दावा किया कि अध्ययन अवकाश की अवधि यानि छः साल दस महीने और दस दिनों की गणना सजा की अवधि की गणना करते समय समायोजित की जानी चाहिए। उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश एवं खण्डपीठ ने संबंधित रिट याचिका और रिट अपील में की गई मांग को अस्वीकार करने की पुष्टि की है। कारणवश वर्तमान अपील प्रस्तुत हुई।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहाः

01- केरल जेल नियम, 1958 क नियम 225 में उल्लेखित स्पष्ट स्थिति को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय के फैसले में किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं हैा क्योंकि लाभ का हकदार होने के लिए दोशी को कम से कम आठ साल हिरासत में रहना होगा नियम 461 अर्थात अवकाश की अवधि को सजा के रूप मे माने जाने प्रावधान अध्ययन अवकाश की अवधि पर लागू नहीं किया जा सकता है। यही बात इस तथ्य से और स्पष्ट होती है कि अध्ययन अवकाश की शुरूआत के समय सजा निलंबित कर दी जाती है, जबकि आपातकालिन अवकाश एवं सामान्य अवकाश को अध्याय 26 के नियमों के तहत निलंबन नहीं समझा जाता नियम 453 में यह भी देखा गया है कि आपातकालीन एवं सामान्य अवकाश की अवधि एकछोटी अवधितक सीमित हैऔर इसे लगातार नहीं दिया जा सकता है और यह भी कि सामान्य अवकाश लेने वाले कैदी की आगे रिहायी के लिए

नियम 452 (ख) के अनुसार छः माह के अन्तराल के बाद ही विचार किया जाता हैा नियम 455 के अनुसार आपातकालीन अवकाश मृत्यु या गंभीर बीमारी, जैसी चरम स्थितियों तक ही सीमित है। लेकिन जहां तक अध्ययन अवकाश संबंध है उसे कुछ हद तक उदारता से दिया जाता हैा अपीलार्थी स्वयं छःवर्ष से अधिक समय तक जैल से बाहर रहा है, वह जैल के अन्दर बीताये समय से अधिक समय जैल से बाहर रहा है। (पैरा संख्या 8 एवं 6)(992-बी, सी, डी, एचः 993-ए) मरूराम बनाम भारत संघ व अन्य (1981) 1 एससीसी 107

02. जब भी अपीलार्थी आठ वर्ष से अधिक की वास्तविक अभिरक्षा का सामना कर चुका हो, संबंधित अधिकारियों द्वारा उसके मामले पर कानून के अनुसार विचार किया जावे। (पैरा संख्या 10)(996-एफ)

आपराधिक अपीलिय क्षेत्राधिकारः आपराधिक अपील नम्बरः-1222/2007

केरला उच्च न्यायालय, एरनाकुलम द्वारा डब्ल्यू.ए. नम्बर 2007/2005 में पारित निर्णय व आदेश दिनांक 21-02-2006 से।

अपीलार्थी की ओर से टी.एन. सिंह, वी.के. सिंह एवं रोहित पाण्डे।

प्रत्यर्थी की ओर से जी. प्रकाश।

न्यायालय का निर्णय द्वारा डॉ. अरिजीत पासायत, जे.

01- अनुमति प्रदान की गई।

02. इस अपील में खण्डपीठ द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई है।जिसमें केरल उच्च न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की दायर रीट अपील को खारिज किया गया।

03. संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि:

अपीलार्थी कुन्नुर की केन्द्रीय जेल में आजीवन कारावास भोग रहा है, जो कि भारतीय दण्ड संहिता 1860 (संक्षेप में -302 के तहत दण्डनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध अभियुक्त है। जिसके द्वारा राज्य सरकार के समक्ष दावा किया कि केरल जेल नियम, 1998 (संक्षिप्त में नियम) के अनुसार आठ साल ही हिरासत पूरी होने पर परिवीक्षा पर रिहा करने का प्रावधान है। अपीलार्थी के अनुसार सजा की अवधि की गणना करते समय छ साल दस महीने और तैरह दिन के अध्ययन अवकाश की अवधि का समायोजन भी किया जाना चाहिए था।वास्तव में अपीलार्थी द्वारा छः साल तीन महीने एवं पचीस दिनों का कारावास भुगता है।जिसमें एक महीने और सत्तरह दिन की रिमाण्ड अवधि भी जोड़ी जानी है।जिससे कुल छः साल पांच महीने एवं दस दिन हो जाते। उच्च न्यायालय ने नियम 225 (2) के संदर्भ में राज्य सरकार के निष्कर्ष का सार रुप में सही पाया कि रीट याचिकाकर्ता किसी भी राहत का हकदार नहीं था।जिसके बाद उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की गई एवं डिवीजन बैंच द्वारा पारित संदिग्ध आदेश में कहा गया कि रिट याचिकाकर्ता का मामला समिति के समक्ष नहीं रखा जा

सकता था, क्योकि याचिकाकर्ता द्वारा आठ साल की सजा की अनिवार्य अवधि नहीं भुगती गयी है।

04. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया कि अध्ययन अवकाश की अवधि को भी गिना जाना चाहिए। जिसके लिए नियम 461 का हवाला दिया गया।दूसरी ओर राज्य के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उच्च न्यायालय के पारित आदेश का समर्थन किया गया।

05. नियम 280-ए में अध्ययन के उद्देश्य से अवकाश की अवधि के लिए सजा के निलंबन का प्रावधान है, जो कि दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 (संक्षेप में द0प्र0सं0) की धारा-432 (6) के तहत शक्ति प्रदत्त है।इस संबंध में विशेष नियम भी बनाये गये हैं। जिसका शीर्षक "कैदियों की शिक्षा के लिए उनकी सजा का निलंबंन बाबत नियम" है। दूसरी ओर अवकाश के संबंध में नियमों के अध्याय 26 में केवल दो प्रकार की छुट्टी निर्दिष्ट की गई है, जो है आपातकालीन और सामान्य। उपरोक्त नियम सजा के निलंबंन पर विचार नहीं करते हैं। चूंकि नियम 453 के अनुसार आपालकालीन अवकाश की अधिकतम अवधि पन्द्रह दिनों की है और सामान्य अवकाश की अधिकतम अवधि तीस दिनों की है। नियम 452 (बी) में यह भी प्रावधान है कि एक बार किसी भी प्रकार की छुट्टी पर रिहा होने के बाद कैदी पुनः छुट्टी पर रिहा होने का पात्र नहीं होगा, जब तक कि वह छुट्टी से अपनी अंतिम वापसी की तारीख से गिने जाने वाले वास्तविक कारावास के छः महीने पूरे नहीं कर लेता।

नियम 455 में आपातकालीन अवकाश उक्त नियम का एक अपवाद है। क्योंकि यह पन्द्रह दिनों तक सीमित है। जैसाकि उपर उल्लेख किया गया है और जिसमें आधार किसी करीबी रिश्तेदार की मृत्यु या गंभीर बीमारी है। दूसरी ओर अध्ययन अवकाश की अवधि के दौरान सजा निलंबित कर दी जाती है। नियम 225 (2) के अनुसार सजा के निलंबन का कारण यह है कि उस अवधि को सजा की अवधि में समायोजित नहीं किया जाये।इसी प्रकार नियम 225 बताता है कि:

"225. सजा निलंबित होने पर प्रक्रिया:- 01. जब एक अपीलीय न्यायालय सजा के निष्पादन को या आदेश के खिलाफ की गई अपील तक सजा को स्थगित करने का आदेश देता है, यदि इस दौरान अग्रीम आदेश तक अभियुक्त अभिरक्षा में निरुद्ध रहता है, तो उसे एक विचाराधीन कैदी माना जायेगा।

02.यदि अपीलार्थी को अन्ततः कारावास की सजा दी जाती है तो जिस अवधि के दौरान मूल सजा को निलंबित किया गया था (ए) यदि जेल में पारित किया जाता है, तो उस अवधि को शामिल किया जायेगा एवं (बी) जेल से बाहर होने पर पारित किए जाने पर अवधि को बाहर रखा जाएगा।उस अवधि की गणना करने में जिसके लिए उसे अपीलीय न्यायालय द्वारा सजा सुनायी गयी है।"

06. नियम 225 (2) स्थिति को विस्तृततौर पर स्पष्ट करता है। नियम 461 अर्थात् अवकाश की अवधि को सजा के रूप में मानने का

प्रावधान अध्ययन अवकाश अवधि पर लागू नहीं किया जा सकता है।इस अनुसार यह स्पष्ट है कि अध्ययन अवकाश शुरू होने के समय सजा निलंबित रहती है, जबकि आपातकालीन छुट्टी या सामान्य छुट्टी के लिए, उपरोक्त निलंबन पर नियमों के अध्याय 26 के तहत विचार नहीं किया गया है।जैसाकि उपर उल्लेख किया गया है, सबंधित नियमों अर्थात नियम 453 से यह भी देखा जाता है कि आपातकालीन और सामान्य छुट्टी की अवधि एक छोटी अवधि तक सीमित है और इसे लगातार नहीं किया जाता है।यह भी कि सामान्य छुट्टी लेने वाले कैदी की आगे रिहायी के लिए नियम 452 (बी) के अनुसार छः महीने के अन्तराल पर विचार किया जाता है। आपातकालीन अवकाश, जैसाकि नियम 455 में पहले ही उल्लेख किया गया है।इन कारणों तक सीमित है कि मृत्यु या गंभीर बीमारी जैसी गंभीर स्थितियां हों।लेकिन जहां तक अध्ययन अवकाश की बात है, तो यह सामने आता है कि इसे कुछ हद तक उदारता से दिया जाता है। अपीलार्थी स्वयं छः वर्ष से अधिक समय तक जैल से बाहर रहा, वह जैल के अन्दर बीता ये समय से अधिक समय जैल से बाहर रहा है।

07. ऐसा प्रतीत होता है कि कैरल सरकार ने एक उच्च स्तरीय कमिटी का गठन किया था, जब स्वतः संज्ञान कार्यवाही में पारित आदेश के आधार पर चुंकि इसलिए पारित किया गया, क्योंकि कई उदाहरणों में गंभीर अपराधों के लिए सजा पाये कई दोषियों को अल्पावधि कारावास से गुजरने के बाद रिहा कर दिया गया था।समिति द्वारा दिशानिर्देश तैयार किए

गए थे, जिन्हें जी0ओ0(पी) 228/03/गृह दिनांकित 18.10.2003 द्वारा जारी किया गया। राज्य सरकार के आदेश के पैरा तीन में दिशा निर्देश इस प्रकार हैंः

"समिति आजीवन कारावास के दोषियों को समय से पहले रिहा करने की सिफारिश कर सकेगी। जिन लोगों ने वास्तविक कारावास के आठ साल पूरे कर लिये हैं, जिसमें न्यायालय के आदेश से समायोजित किया गया कारावा सभी शामिल है।परन्तु न्यायालय द्वारा दी गई सजा में छूट को छोड़कर जो इन आधारों कोध्यान में रख कर दी गई है कि जिसमें अपराध की प्रकृति, उससे हुए समाज पर प्रभाव, जैल में कैदी का व्यवहार शामिल है।ऐसे मामलों में जिनमें समिति को लगता है कि समय से पहले रिहायी से उनके सामाजिक सुधार और पुनर्वास में मदद मिलेगी।"

08- अपीलार्थी का रवैया स्पष्ट रूप से चलने योग्य नहीं है] क्योंकि नियम 225 से उत्सर्जित स्थिति के आधार पर उच्च न्यायालय के फैसले में ऐसी कोई दुर्बलता नहीं है कि लाभ का हकदार होने के लिए दोषी को कम से कम आठ वर्ष की अवधि का कारावास भोगना होगा।

09- मरूराम बनाम भारतसंघ व अन्य (1981) 1एससीसी 107 में यह पारित किया गया था-

"28. किसी भी तर्क में बल नहीं हैA पहला तर्क विफल हो जाता है क्योंकि - 302(या इसी तरह के अन्य अपराध जिसमें सजा को आजीवन कारावास के रूप में निर्धारित किया है। 14 वर्षों की अवधि कभी भी

आजीवन कारावास से अधिक नहीं होती है। दूसरा तर्क विफल हो जाता है क्योंकि आजीवन कारावास के मामले में छूट, अंतिम रिहायी आदेश पारित होने के पश्चात् ही शेष बचे समय में से कम की गई सजा की गणना की जा सकेगी। भले ही से इस प्रकार एक अलग निष्कर्ष को स्वीकार करने के लिए बहुत जोरदार और कठोर है। मृत्युं भी भयावह दूरी जो आजीवन कारावास की अंतिम सीमा है, कटौती के लिए कोई सीमा या समय निश्चित तौर पर नहीं बताती है।निश्चितता के साथ तारीख तय नहीं करने के लिए अनिश्चितकाल के लिए छूट पर इस प्रकार, भले ही म्माफी को पूर्णविश्वास और श्रेय दिया जाता है, परन्तु रिरिहायी की तारीख तब तक तय नहीं की जा सकती, जब तक कि शेष सारी सजा सरकार द्वारा धारा-432 में माफ नहीं कर दी गयी हो।यदि यह नहीं किया जाता है तो कैदी अभिरक्षा में ही रहेगा। हम यहां पर यह मानते हैं कि संवैधानिक शक्ति को सुरक्षित रखा जाये।

29. यदि यहां हम तर्क के लिए मान लें कि कैदी द्वारा छूट अर्जित की गई है, मर्फी बनाम कॉमलवेल्थ (172 मास 264) जिसे कूली द्वारा संदर्भित किया गया है और हमारे सामने उद्धृत किया गया है, इसके अनुसार यह माना गया है कि अर्जित छूट को बाद के कानून द्वारा नहीं लिया जा सकता है एवं यहां भी यह मान सकते हैं कि इस प्रकार के कानून के अनुसार अगर दिये कारण अपनाये जायें तो उनका और प्रतिकुल

प्रभाव पड़ेगा। परन्तु हमें यहां इस स्थिति की जांच करने की आवश्यकता नहीं है।

30. आजीवन कारावास की तुलना बीस साल के कारावास से करके चर्चा में एक संभावित भ्रम पैदा हो जाता है। इस उद्देश्य के लिए -55 और विभिन्न छूट योजनाओं की परिभाषाओं पर भरोसा रखा गया है। हमें बस इतना ही कहना है, जैसा कि गोडसे में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि यह समतुल्य गणना के सीमित उद्देश्य के लिए है, ताकि राज्य को कुल छूट की अपनी व्यापक शक्तियों का प्रयोग करने में मदद मिल सके। भले ही अर्जित माफी कुल बीस वर्षों तक हो, फिर भी राज्य सरकार कैदी को तब तक रिहा कर सकती है, या नहीं कर सकती है, जब तक कि आजीवन कारावास के शेष भाग को माफ करने वाला रिहायी आदेश पारित नहीं किया जाता है। तब तक कैदी अपनी स्वतंत्रता का दावा नहीं कर सकता है। इसका कारण यह है कि आजीवन कारावास पूरे जीवन तक कारावास से कम नहीं है, इसके अलावा, दण्ड तब और अब समान है।आजीवन कारावास में और माफी में रिहायी का कोई अधिकार नहीं है। मूल रूप से अपराध के लिए मौजूद कानून की तुलना में धारा-435 ए द्वारा अपराध में बढ़कर सजा अधिरोपित नहीं की जा सकती है।ना ही माफी के किसी भी निहित अधिकार को अनिवार्य 14 वर्ष की जैल जीवन द्वारा रद्द कर दिया जाता है। जब हम इस सच्चायी का अहसास करते हैं कि आजीवन कारावास पूरे जीवन की ही सजा है।(देखें सांभाजी कृष्णा जी बनाम महाराष्ट्र राज्य,

एआईआर (1974) एससी 147 एवं मध्यप्रदेश राज्य बनाम रतनसिंह (1976) एस यु पी पी ए सी सी 552).

31- शायद निश्चित अवधि के कारावास के मामलों में अंतर हो सकता है, कूली समर्थन देता हैः

अपराध कारित करते समय मौजूद विशेषाधिकार को बाद में बनाये कानून द्वारा नही हटा दिया जायेगा (विशेषाधिकार, यानि अच्छे व्यवहार से सजा का कम किया जाना)

72- हम बिन्दुवार यह निष्कर्ष निकालते हैं किः

01- हम धारा 433ए के द्वारा अधिकारों पर लगाये सभी दबावों को पंसद नहीं करते हैं। शायद दण्डात्मक रूप से धारा द्वारा निर्धारित अवधि लम्बी अवधि है, अगर हमारे पास यह अधिकार होता तो हम सुधार के लिए चौदह वर्ष की अवधि की आवश्यकता को नकार देते। लेकिन हमारा कार्य अर्थ निकालना है, निर्माण करना नहीं, विवेचन करना है, अधिनियम का निर्माण करना नहीं।

02- हम विभिन्न राज्यों द्वारा बनाये गये छूट के नियमों और छोटी सजा देने वाले कानूनों पर धारा- 433 ए की वर्तमान सर्वोच्चता की पुष्टि करते हैं।

03. हम संविधान के अनुच्छेद 72 और 161 के तहत पारित सभी छूटों और छोटी सजा को बरकरार रखते हैं, लेकिन आजीवन कारावास के मामलों

में, केवल सरकार द्वारा सामुहिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से आदेश देने पर भी रिहाई होगी।

04. हमारा मानना है कि धारा-432 और धारा-433 संविधान के अनुच्छेद 72 और 161 की अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि एक अलग, हालांकि समान शक्ति है और धारा-433 ए इन पूर्व प्रावधानों को पूरी तरह या आंशिक रूप से निरस्त करके क्षमा करने, परिवर्तित करने और इसी तरह की संवैधानिक शक्ति के पूर्ण संचालन का उल्ल्घंन या ह्रास नहीं करती है।

05. हम इस दलील को नकारते हैं कि धारा-433 ए संविधान के अनुच्छेद 20 (1) का उल्ल्घंन करती है।

06. हम गोपाल विनायक गोडसे बनाम महाराष्ट्र राज्य (1961) 3 एससीआर 440 का अनुसरण करते हैं।जिसके अनुसार यह ठहराने के लिए कि आजीवन कारावास अंतिम सांस तक रहता है और जो भी छूट अर्जित की जाती है। कैदी द्वारा रिहायी का दावा तभी किया जा सकेगा, जब शेष सारी सजा सरकार द्वारा माफ कर दी गयी हो।

07- हम घोषणा करते हैं कि धारा-433 ए, इसके दोनों अंगों में (यानि इसमें निर्दिष्ट दोनों प्रकार के आजीवन कारावास प्रभावी होने की संभावना है।स्थिति को संदेह से परे परखने के लिए हम निर्देश देते हैं कि अनिवार्य न्यूनतम चौदह वर्ष का वास्तविक कारावास उन लोगों के विरुद्ध काम नहीं करेगा, जिनके मामलों का फैसला निचली अदालत द्वारा 18 दिसम्बर, 1978 से पूर्व किया गया था। जब धारा-433ए लागू हुई थी। सभी आजीवन

कारावासी जिनके लिए अदालत द्वारा उस तारीख से पहले दोषसिद्धि दर्ज की गई थी, वे अर्जित छूट के आधार पर रिहायी के लिए सरकार द्वारा विचार करने के हकदार हैं। यद्यपि रिहायी तब ही होगी, जब सरकार इस संदर्भ में आदेश पारित करेगी। इस हद तक कि विवेचन की लड़ाई कैदियों के द्वारा जीती जाती है।इस प्रकार सजा में कमीया छूट देने वाले अधिनियम कैदियों को तभी हकदार बनायेंगे, उनकी रिहायी के संबंध में जब न्यायालय द्वारा निर्णय धारा-433 ए प्रभावी होने पूर्व पारित किया गया हो। उपयुक्त सरकार की सलाह राज्य के प्रमुख को बाध्य करती है। प्रत्येक व्यक्तिगत मामले के लिए कोई अलग आदेश आवश्यक नहीं है, लेकिन किए गए किसी भी सामान्य आदेश को मामलों के समूह की पहचान करने और पूरे समूह के लिए दिमाग के अनुप्रयोग और इंगित करने के लिए पर्याप्त स्पष्ट होना चाहिए।

08- संविधान के अनुच्छेद 72 और 161 के तहत शक्ति को केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रयोग किया जाता है] ना कि राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा। उपयुक्त सरकार की सलाह राज्य के प्रमुख को बाध्य करती है। प्रत्येक व्यक्तिगत मामले के लिए कोई अलग आदेश आवश्यक नहीं है, लेकिन किए गए किसी भी सामान्य आदेश को मामलों के समूह की पहचान करने और पूरे समूह के लिए दिमाग के अनुप्रयोग और इंगित करने के लिए पर्याप्त स्पष्ट होना चाहिए।

09- अनुच्छेद 72@161 के तहत शक्ति के प्रयोग के लिए विचार असंख्य हो सकते हैं और उनके अवसर पर्याप्त हो सकते हैं और उन्हें संबंधित सरकार पर छोड़ दिया जाता है।लेकिन कोई भी विचार या अवसर पूरी तरह से अप्रासंगिक] तर्कहीन] भेदभावपूर्ण या दुर्भावनापूर्ण नहीं हो सकता है। केवल इन दुलर्भ मामलों में अदालत इस बाबत जाँच करेगी।

10- यद्यपि छूट के नियम या अल्पावधि सजा के प्रावधान धारा-433 ए के विरुद्ध स्वतः प्रभावी ढंग से लागू नहीं हो सकते हैं, लेकिन वे धारा-433 ए पर हावी हो जाएंगे। यदि सरकार, केन्द्र या राज्य अपनी संवैधानिक शक्ति का प्रयोग करते हुए स्वयं को उन्हीं नियमों या योजनाओं द्वारा निर्देशित करती है।हम इसे उचित मानते हैं कि जब तक एकत्र किए गए अनुभव वर्तमान सामाजिक स्थितियों एवं स्वीकृत दण्डात्मक सोच को ध्यान में रखते हुए नये नियम नहीं बनाये जाते हैं, हमारे विचार में एक वांछनीय कदम वर्तमान छूट और रिहायी योजनाओं को उपयोगी रूप से अनुच्छेद 72@161 के तहत मार्गदर्शक के रूप में लिया जा सकता है और रिहायी के आदेश पारित किए जा सकते हैं।हम सरकार को दोष नहीं दे सकते हैं, यदि कोई भूल होती है तो धारा-433 ए को स्वयं अनुच्छेदों के प्रयोग के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में माना जाता है। हमारी यह टिप्पणियां मतभेद से बचने के लिए अनुशंसित है।लेकिन यह सरकार केन्द्र या राज्य को तय करना है कि क्या और क्यों वर्तमान छूट नियम तब तक जीवित नहीं

रहना चाहिए जब तक कि उन्हें एकाधिक व पूर्ण योजना द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जाता।

11- यूपी कैदियों की परिवीक्षा पर रिहायी अधिनियम के द्वारा विस्तार की गणना चौदह वर्ष की अवधि के उद्देश्य के लिए की जायेगी। इसी तरह के अन्य कानून और नियम समान प्रभावकारिता का आनन्द लेंगे।

12- हमारे विचार में दण्डात्मक मानवतावाद और पुनर्वास की इच्छा सुरक्षा उपायों और अन्य के अधीन, उदार पैरोल की मांग करता है।कैदियों के लिए मानवीय रणनीतियों के अधीन रहते हुए कैदियों के जीवन का मूल्य व गरीमा बरकरार रहे, ना कि केवल बड़े दर्जे पर जैल को मानवीय चिड़ियाघर बनाकर।मानवाधिकार जागरूकता में संस्थागत सुधारों को बढ़ावा देना चाहिए और विकल्पों की तलाश करनी चाहिए।

13. हमने कानून को ठीक घोषित किया है, लेकिन कानून की कार्यवाही खुद को पूरा करती है। केवल घोषणा द्वारा नहीं, पर समुदाय तक पहुचने के लिए संचार के पंखों की आवश्यकता है। इसलिए इस न्यायालय से आगे का निर्देश जाता है कि अन्तिम अभिनिर्धारित भाग का अनुवाद किया जाकर और प्रत्येक वार्ड में प्रमुखता से रखा जाता है और पूरे निर्णय को राज्य की भाषा में उपलब्ध कराया जाकर जैल के पुस्तकालयों में कैदियों को उपलब्ध कराया जावे।

14. धारा-433 ए पैरोल या अन्य रिहायी को चौदह वर्ष की अवधि के भीतर मना करती है। इसलिए आंतरिक तनाव को तेज करने के रूप में ठंड

की व्याख्या करने के लिए और स्वतंत्रता का हस्तक्षेप भाषा और स्वतंत्रता के लिए हिंसा करना है।

10- जब भी अपीलार्थी आठ से अधिक वास्तविक अभिरक्षा का समय बिता लेता है, उसके मामले पर संबंधित प्राधिकारी द्वारा कानून के अनुसार विचार किया जायेगा।

11. हम यह स्पष्ट करते हैं कि हमने इसमें कोई राय व्यक्त नहीं की है, जिससे अपीलार्थी के मामले पर विचार करते समय अपीलार्थी की याचिका की स्वीकार्यता होती हो। मामले पर विचार करते समय मानकों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

12. अपील को उपर्युक्त टिप्पणियों के साथ खारिज किया जाता है।

के के टी

याचिका खारिज।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी यतीन्द्र चौधरी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।